

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:-जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या:-16/2019 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

बैंक ऑफ इंडिया शाखा-हनुमानगढ़ टाउन जरिये प्राधिकृत अधिकारी
---प्रार्थी/सिक्योर कैंडिडट

बनाम

1. मैसर्स खुशबू ट्रेडिंग कम्पनी प्रोपराईटर श्री दर्शन कुमार पुत्र श्री गुरदित्तामल पता-पंजाबी मोहल्ला, शीला पीर रोड हनुमानगढ़ टाउन।
---(अप्रार्थी/ऋणी)
2. श्री दर्शन कुमार पुत्र श्री गुरदित्ता मल निवासी प्लॉट नम्बर 8 चक नम्बर 17 एचएमएच पूरण नगर हनुमानगढ़ टाउन।
---(प्रोपराईटर)
3. श्री अश्विनी गोयल पुत्र श्री दर्शन कुमार निवासी प्लॉट नम्बर 8, चक नम्बर 17 पूरण नगर हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जला-हनुमानगढ़।
---(गारन्टर)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की
धारा 14 के अन्तर्गत सहायता हेतु प्रा.पत्र



दिनांक:-31.10.2019

आदेश
प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया, शाखा हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ की ओर से श्री रामकुमार बिश्नोई वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी को दिनांक 28.10.2014 को 30,00,000 (अखरे तीस लाख रुपये) व दिनांक 10.11.2014 को 20,00,000/-रुपये (अखरे बीस लाख रुपये) कुल 50,00,000 (अखरे पचास लाख रुपये) की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई थी। ऋणी/प्रोपराईटर/जमानतदार द्वारा ऋण की ऐवज में बंधक चल व अचल सम्पत्ति-(1) हाईपोथिकेशन स्टॉक जो पंजाबी मोहल्ला शीलापीर रोड हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़ में स्थित है। (2) प्लॉट नं. 08, चक नम्बर 17 एचएमएच. पूरण नगर हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़ में स्थित है जो दर्शन कुमार पुत्र गुरदित्ता मल के नाम से है जिसको ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में प्रार्थी बैंक के हक में सम्यबंधक व निष्पादन किया।

ऋणी द्वारा उक्त ऋण को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 30.09.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।

ऋणी का खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऋणी/प्रोपराईटर/जमानतदार को दिनांक 16.10.2018 को मांग नोटिस भेज कर 60 दिन में ऋण राशि 49,64,264.24 /--(अखरे रूपये उनचास लाख चौंसठ हजार दौ सौ चौंसठ एवं पैसे चौबीस मात्र) दिनांक 30.09.2018 तक एवं इस दिनांक के बाद का ब्याज व अतिरिक्त खर्चे, लागत इत्यादि मांग की गई। वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्त के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गयी व न ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया।


ऋणी एवं जमानतदार द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नहीं करवाई है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा सम्पति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पति निलाम कर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सकें।

अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण चुकाने हेतु 6 माह का समय प्रदान करने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर मुख्य प्रबन्धक की और से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर कथन किया गया कि अश्वनी गोयल का खुशबू ट्रेडिंग कम्पनी से कोई लेना-देना नहीं है। आपके पास यह लंबित मामला सरफेसी एक्ट के तहत पैण्डिंग है। ऋणी द्वारा समय पर ऋण राशि का भुगतान न किये जाने के कारण भुगतान की समय सीमा को नहीं बढ़ाई जावे। प्रार्थी बैंक के जवाब में अंकित तथ्यों के अवलोकन करने से ऋणी को काफी समय बैंक द्वारा दिया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 3 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

बैंक ऑफ इंडिया के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। ऋणी/प्रोपराईटर/जमानतदार द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणी/जमानतदार को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी ऋणी/प्रोपराईटर/जमानतदार द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा बैंक ऑफ इंडिया के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पर हाईपोथिकेशन स्टॉक जो पंजाबी मोहल्ला शीलापीर रोड, हनुमानगढ़ टाऊन, हनुमानगढ़ में स्थित है, जिससे सम्बन्धित स्टॉक के दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी बैंक स्टॉक का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त ऋणी/प्रोपराईटर/जमानतदार द्वारा उक्त ऋण की सुविधा की एवज में प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया के पास बंधक अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 08, चक नम्बर 17 एचएमएच पूरण नगर हनुमानगढ़ टाऊन, हनुमानगढ़ में स्थित है, जो दर्शन कुमार पुत्र श्री गुरुदित्ता मल के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से बैंक ऑफ इंडिया को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस

अधीक्षक हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ व बैंक ऑफ इण्डिया को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।




जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़